रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1998/पौष 17, 1919

No. 5] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 1998/PAUSA 17, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

प्रारम्भिक कार्रवाई की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1998

विषय : जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली से एक्रीलिक फाइबर के आयात के संबंध में प्रतिपाटन जाँच की शुरूआत

32/1/97-ए. डी. डी.—मैसर्स इण्डियन एक्रीलिक लि०, मै० पशुपति एक्रीलोन लि०, मै० जे० के० सिंथेटिक्स लि० और मै० कंसॉलिडेटेड फाइबर्स एंड केमिकल्स लि० ने जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली पर एक्रीलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाते हुए सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास याचिका दायर की है और जाँच करने तथा प्रतिपाटन शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

2. घरेलू उद्योग.—यह याचिका मैसर्स इण्डियन एक्रीलिक लि०, मै० पशुपति एक्रीलोन लि०, मै० जे० के० सिंथेटिक्स लि० और मै० कंसॉलिडेटेड फाइबर्स एंड केमिकल्स लि० द्वारा दायर की गई है और ये घरेलू उत्पादन के 25% से अधिक का उत्पादन करते हैं और इस प्रकार ऊपर बताए गए नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की योग्यता रखते हैं ।

3. शामिल उत्पाद.—इसमें शामिल उत्पाद एक्रीलिक फाइबर, सिकुड़ने वाले और नहीं सिकुड़ने वाले दोनों ही रूप में हैं । एक्रीलिक फाइबर सिंथेटिक पालीमर की लम्बी श्रृंखला है जो कि वजन के रूप में कम से कम 85 प्रतिशत एक्रीलोनीटाइल एककों से बनी होती है । एक्रीलिक फाइबर की रेंज 1.5 डेनियर से 8.0 डेनियर के बीच बतायी जाती है । एक्रीलिक फाइबर का उपयोग रोजाना उपयोग की पोशाकों में होता है तथा इसके कुछ औद्योगिक उपयोग भी हैं ।

4. एक्रीलिक फाइबर का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क कोड 550330 के अंतर्गत किया गया है । किन्तु यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

5. समान वस्तुएं.—याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित एक्रीलिक फाइबर की विशेषताएं उक्त देशों से आयात किए जा रहे एक्रीलिक फाइबर के एकदम समान है और एक दूसरे के लिए इन दोनों की खपत की जा रही है, और उन्होंने प्राधिकारी से उसे समान वस्तु समझने का अनुरोध किया है ।

पाटन

6. सामान्य मूल्य.—याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में शामिल देशों के घरेलू बाजारों में प्रचलित सामान्य मूल्य को इंगित करते हुए पर्याप्त प्रमाण दिए हैं ।

7. निर्यात कीमत.—याचिकाकर्ताओं ने निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार किया है, जिसे प्रारम्भिक कार्रवाई के लिए विश्वसनीय माना जा रहा है । चूँकि ये कीमतें सी आई एफ हैं ; इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कारखाना द्वार पर की गई बिक्री की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, सीमाशुल्क निकासी और पत्तन रखरखाव, निर्यात के देशों में स्थानीय परिवहन, तथा विशेष पैकेजिंग हेतु समायोजन का दावा किया है ।

8. ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत में निर्यात कीमत सभी प्रकार के एक्रीलिक फाइबर के लिए उक्त देशों में सामान्य मूल्य से कम रही है, जिनसे यह निर्दिष्ट होता है कि जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली के निर्यातकों द्वारा उनका पाटन किया जा रहा है ।

क्षति

9. क्षति के संबंध में विभिन्न प्राचलों से उदाहरणार्थ शुद्ध रूप में आयात की मात्रा, बाजार हिस्सा, आरोपित देशों से आयात कीमत और घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न निर्देशात्मक कारक जैसे उत्पादन, बिक्री, विक्रय कीमतों, स्टाक, लाभ और हानि, सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हो रही है ।

10. प्रथम दृष्टया इस बात के साक्ष्य हैं कि उक्त देशों के मूल से आयातित एक्रीलिक फाइबर से घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हो रही है ।

11. प्रतिपाटन जाँच की शुरुआत.—अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी जापान, पुर्तगाल, स्पेन और इटली मूल के या वहां से निर्यातित एक्रीलिक के आरोपित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव की पाटन-रोधी जाँच करते हैं ।

12. जाँच का अवधि.—वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997 तक है ।

13. सूचना प्रस्तुत करना.—जापान, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली के निर्यातकों और भारत में ज्ञात संबंधित आयातकों को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना और अपनी राय निर्धारित रूप व ढंग से श्रीमती रत्ति विनय झा, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत कर दें ।

14. अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समयाविधि तरीके से जांच के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकती हैं ।

15. सार्वजनिक फाइल की जाँच.—नियम 6(7) के अनुसार, कोई इच्छुक पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के गैर-गोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल की जांच कर सकता है ।

16. समय सीमा.—वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के अंदर पहुंच सके । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग-अलग लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।

17. ऐसे मामले में, जहां पर इच्छुक पार्टी पहुंचने से मना करती है, अथवा अन्यथा यथोचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करती है, अथवा जांच की कार्रवाई में पर्याप्त बाधा डालती है, अथवा उक्त सूचना किसी भी तरीके से अधूरी है, उस मामले में प्राधिकारी द्वारा उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए जा सकते हैं और उसके द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें की जा सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझे ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1998

Subject : Initiation of anti dumping investigations concerning import of Acrylic Fibre from Japan, Portugal, Spain and Italy

32/1/97-ADD.—A petition has been filed by M/s. Indian Acrylic Ltd., M/s. Pasupati Acrylon Ltd., M/s. J. K. Synthetics Ltd. and Consolidated Fibre & Chemicals Ltd., in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 before the Designated Authority alleging dumping of Acrylic Fibres from the Japan, Portugal, Spain and Italy and requested for investigation and levy of anti-dumping duty.

2. Domestic Industry.—The petition has been filed by M/s. Indian Acrylic Ltd., M/s. Pasupati Acrylon Ltd., M/s. J. K. Synthetics Ltd, and M/s. Consolidated Fibre and Chemicals Ltd. and account for more than 25% of domestic production and therefore, have a standing to file a petition on behalf of domestic industry under the aforesaid rules.

3. Product involved.—The product involved is Acrylic Fibre, both in shrinkable and non-shrinkable form. Acrylic

Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 85 per cent by weight of Acrylonitrile units. The range of Acrylic Fibre is stated to be from 1.5 Denier to 8.0 Denier. Acrylic Fibre has application in day to day life use apparel, and some industrial uses.

4. Acrylic Fibre is classified under custom code 550330 of Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of present investigations.

5. Like Goods.—The petitioner has claimed that Acrylic Fibre produced by them has characteristics closely resembling Acrylic Fibre being imported from said countries and the two are being consumed interchangeably, and requested the Authority to treat the same as like articles.

Dumping

6. Normal Value.—The petitioners have provided sufficient evidence to indicate the normal value prevailing in the domestic markets of the countries involved.

7. Export Price.—The petitioners have worked out export price as per statistics published by the Directorate of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, which is being relied upon for the purpose of initiation. Since these prices are CIF, the petitioners have claimed adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Customs Clearance & Port Handling, Local Transportation in the countries of export, and Special Packaging for working out ex-works Export Price.

8. There is sufficient prima facie evidence that export price to India has been lower than the normal value in the said countries for all the types of Acrylic Fibres, indicating that the same are being dumped by the exporters from Japan, Portugal, Spain and Italy.

Injury

9. The various parameters relating to injury such as quantum of imports in absolute terms, market share, import price from the alleged countries and various indicators affecting domestic industry such as production, sales, selling prices, stocks, profit and loss, collectively and cumulatively prime facie indicate that the domestic indsutry has suffered material injury.

10. There is prime facie evidence that imports of Acrylic Fibre originating from the said countries are causing material injury to the domestic industry.

11. Initiation of Anti Dumping Investigation.—The Designated Authority, therefore, initiates anti dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of Acrylic Fibre originating in or exported from Japan, Portugal, Spain and Italy.

12. Period of Investigation.—The period of investigation for the purpose of present investigations is April, 1996 to March, 1997.

13. Submission of information.—The exporters in Japan, Portugal, Spain and Italy and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in form and manner prescribed and to make their views known in the form and manner prescribed to Smt. Rathi Vinay Jha, Designated Authority & Additional Secretary to Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

15. Inspection of Public File.—In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. Time Limit.—Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Designated Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letters addressed to them separately.

17. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, or the information is incomplete in any respect the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.